न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

नरेश बनाम अमरलाल

किस्म मुकदमा दावा मु.नं. 238 वर्ष 2026

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
26/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते ई. PD प्रस्ताव दि० 12/02/26 को पेश हो।	
12/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते ई० PD प्रस्ताव दि० 13/04/26 को पेश हो।	
13/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते ई० PD प्रस्ताव दि० 18/05/26 को पेश हो।	P.D अभी F.D की सूचना है
18/5/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय तहसीलदार सीकर न्यायालय के पत्रांक: मु. क./26/150। दिनांक 4/5/2026 के पत्र विरुद्ध प्रस्तुत अपील प्रार्थना को भी पत्रावली वास्ते पक्ष उभय के प्रस्तुत है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/5/2026 को पेश हो।	आदेशार्थ
19/5/26	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील उभय पक्ष मय अभिभाषक पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर तहसीलदार के निर्णय प्रस्ताव के मुताबिक वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि न डिक्री प्रमाण के Mode पर अग्रिम पत्रावली निस्तारणी पेश हो। वाद तकीद अधिक [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner